तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा में यह पाया गया कि कतिपय जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं की गयी है। सम्बन्धित समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि अपने अधीन समस्त जनपदों में उक्त परियोजनान्तर्गत तालाब सुधार/निर्माण सम्बन्धी प्रगति कार्य 15 जून 2017 तक प्रत्येक दशा में शत्प्रतिशत् पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उप निदेशक मत्स्य लखनऊ द्वारा जनपद रायबरेली के मत्स्य पालक द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ न करने के कारण नये मत्स्य पालक का चयन करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।

प्रदेश में मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य 150 के सापेक्ष्य 125 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। जनपद आजमगढ़ द्वारा 25 मत्स्य पालकों के एक बैच को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया, जिसे उप निदेशक मत्स्य, आजमगढ़ को 15 जून–17 मे पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

केन्द्रीय एवं मण्डलीय प्रयोगशालाओं में जल मृदा एवं मंदप्लवक के नमूनों के विश्लेषण की समीक्षा में प्रगति लक्ष्यानुरूप नहीं पायी गयी निर्धारत लक्ष्य 2500 के सापेक्ष्य 2338 की प्रगति पायी गई जिसे प्रत्येक दशामें 15 जून 2017 तक शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

झांसी मण्डल में मोठ तहसील में एक हैचरी स्थापना का प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी के दौरे के दौरान प्राप्त हुआ है जिसके दृष्टिगत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष्य वर्ष 2017–18 में चयनित लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये। इस हेतु उपनिदेशक मत्स्य, झांसी को निर्देशित किया गया कि डीपीआर सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें ताकि प्रस्ताव एनएफडीबी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके।

मा0 मुख्यमंत्रीजी की 100 दिन की योजनान्तर्गत पट्टा आबंटन के संबंध में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 100 दिन (30 जून 2017) हेतु निर्धारित लक्ष्य 1250 हे0 के सापेक्ष्य मात्र 875 हे0 की प्रगति हुयी जो निर्धारित लक्ष्य का 70 प्रतिशत् है। जनपद– कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, बाराबंकी, बरेली, संतकबीरनगर, बिजनौर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी एवं चंदौली की प्रगति शून्य पायी गयी। सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु रूचि नहीं ली गयी। इस सम्बन्ध में मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 15 जून 2017 तक शत्प्रतिशत् लक्ष्य पूर्ण कर निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

2–जलप्लावितः–

वर्ष 2016–17 के अपूर्ण कार्यों को 15 जून 2017 तक पूर्ण कराया जाये तथा प्रगति विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। वर्ष 2017–18 की धनराशि आबंटित की जा चुकी है लक्ष्यानुसार लाभार्थी चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाये और चयनित लाभार्थियों का विवरण विगत वर्ष के प्रारूप पर आधार व मोबाईल नम्बर के साथ उपलब्ध कराया जाये।

3– ग्राम समाज के तालाबों का पटटाः– राजस्व परिषद के स्तर से वित्तीय वर्ष 2017–18 में ग्राम समाज के तालाबों के पटटा आबंटन का वार्षिक लक्ष्य अन्तिम रूप से 8134 हे0 का निर्धारण किया

गया है जिसके सापेक्ष्य माह मई 2017 तक 875.00 हे0 की उपलब्धि की जा चुकी है जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य मात्र 10.76 प्रतिशत है। जनपद– कानपुर देहात, औरैया, कुशीनगर, बाराबंकी, बरेली, संतकबीरनगर, बिजनौर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी एवं चंदौली की प्रगति शून्य पायी गयी जो अत्यंत असंतोषजनक है इस हेतु समस्त मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य प्रगति प्रत्येक दशा में ससमय पूर्ण कर लिये जाये।

4– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से मत्स्य बीज उत्पादन/वितरणः–

वर्ष 2017–18 के लक्ष्य समस्त जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को संसूचित किये जा चुके हैं। प्रक्षेत्र संचालन हेतु बजट आबंटन प्रकिया में है, अतः अग्रिम तैयारी प्रारम्भ की जाये।

5–नर्सरी इकाई की स्थापनाः– नीली कान्ति के अन्तर्गत मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना के 10 हे0 के लक्ष्य के सापेक्ष्य जनपदों द्वारा पूर्ति नहीं की गई है। झांसी एवं अलीगढ़ में कार्य शतप्रतिशत पूर्ण, महराजगंज 85 प्रतिशत, बहराइच तथा जनपद इलाहाबाद में 70 प्रतिशत पूर्ण बताया गया। समस्त जनपदों को 15 जून–17 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

6– समस्त स्त्रोतों से मत्स्य बीज वितरणः–

वर्ष 2017–18 में 100 दिन के अन्दर निर्धारित लक्ष्य 1034.90लाख के सापेक्ष्य माह मई 2017 तक 1285.32लाख मत्स्य बीज का वितरण किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य का 124.20 प्रतिशत् है। समीक्षा अन्तर्गत आजमगढ़, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, एवं मेरठ की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य कम पायी गयी जिसकी पूर्ति माह जून 2017 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

7– जलाशयों की सूचनाः–

मत्स्य विभाग के श्रेणी एक, दो, तीन एवं चार के कुल 506 जलाशयों में से कुल अकार्यशील जलाशयों की संख्या 148 तथा क्रियाशील जलाशयों की संख्या 358 है जिसके सापेक्ष्य 324 जलाशयों की नीलाम की जा चुकी है शेष 34 जलाशय नीलामी हेतु अवशेष है जिसके संबंध में सम्बन्धित उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि अवशेष जलाशयों की मत्स्याखेट हेतु नीलामी शीघ्र सुनिष्चित करें।

8– सहकारिता सम्बन्धीः–

भारत सरकार/फिशकोफेड द्वारा मछुआ दुर्घटना बीमा के प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना में दिनांक 01.06.2017 से आमेलित किये जाने की जानकारी देते हुए मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आच्छादित सकिय मत्स्य पालकों डाटाबेस हेतु निर्धारित 8/14 कालम सूचना के प्रारूप, जिसमें लाभार्थी का

आधार कार्ड नं0 एवं बैंक अकाउन्ट की पूर्ण सूचनायें विलम्बतम 15.06.2017 तक विभागीय ईमेल **fisheries.mpr.in** एवं फिशकोफेड नई दिल्ली की ईमेल **bimalk.1234@hotmail.com** पर अपलोड करते हुये हार्डकापी में निदेशालय को उपलब्ध कराने के कठोर निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्वाचन योग्य समस्त जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन संघ/मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के निर्वाचन राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर निर्वाचन कराने के निर्देश दिये गये।

9– आडिट सम्बन्धी:–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में कई वर्षों से आडिट प्रस्तर लम्बित हैं। इस हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत से आडिट प्रस्तर साक्ष्य न प्राप्त होने के दृष्टिगत लम्बित जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल निदेशालय द्वारा मांगे गये साक्ष्य उपलब्ध करायें और इसमें किसी भी प्रकार की देरी न की जाये।

–: अन्य निर्देश :–

1– समस्त मण्डलीय अधिकारियों को सचेत किया गया कि समय सारिणी के अन्दर ही लक्ष्यों की पूर्ति हो जाये और इसमें यदि कोई बाधा आ रही हो तो निदेशालय या शासन को तत्काल अवगत कराया जाये।

2– भारत सरकार द्वारा नीली क्रान्ति योजना की वर्ष 2016–17 की सरेण्डर की हुयी धनराशि को आटोमैटिक रिवैलीडेट कर दिया गया है। इस हेतु अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी को तत्काल इस हेतु उचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

3– 12 जनपदों के मत्स्य प्रक्षेत्रों में सोलर पम्प की बोरिंग की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। इस हेतु समस्त मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नामित कार्यदायी संस्था से तारतम्य स्थापित कर दिनांक 09.06.2017 तक कार्य कराना सुनिष्चित करायें तथा उसकी फोटो विशेष सचिव महोदय के व्हाटसअप पर भेजें।

4– भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र भेजने हेतु निदेशालय को तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र विशेष वाहक के माध्यम से भेजें ताकि शासन द्वारा भारत सरकार को भेजा जा सके।

5– समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ईमेल और व्हाटसएप के माध्यम से सूचनाओं एवं फील्ड की गतिविधियों के फोटों का प्रेषण किया करें।

6– पट्टे के लक्ष्य को 15 जून तक अवष्य पूर्ण करें इस के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो जिले के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर कार्य को गति प्रदान करें और मण्डलीय अधिकारी भी आयुक्त महोदय के माध्यम से बाधाओं का समाधान करायें। जिन तालाबों के पट्टे स्वीकृति हो गये हैं उनके तत्काल एग्रीमेंट करायें जायें ।

7– एफ0एफ0डी0ए0कर्मचारियों के विभाग में मर्जर के लिए प्रबन्ध समिति से डाइंग कैडर का प्रस्ताव करा कर तत्काल भेजें।

8– कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा व्यक्त अपेक्षा के अनुरूप वृक्षारोपण करायें।

9– भारत सरकार द्वारा संचालित सांसद आदर्श ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य विकास के लक्ष्यों को करायें एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना मुख्यालय उपलब्ध करायी जाये।

10– डा0ष्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की कार्ययोजना सिर्फ लखनऊ से प्राप्त हुयी है। शेष सभी मण्डल जल्द कार्ययोजना निदेशालय को उपलब्ध करायें।

11– लाभार्थी परक योजनाओं की प्रगति के विवरण के साथ चयनित लाभार्थी का आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर अवश्य दर्ज किये जायें।

12– वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बजट समय से उपलब्ध कराया जाये ताकि समय से उसका उपभोग हो सके साथ ही मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बजट मिलने की स्थिति तक अपने मण्डल में लाभार्थी आदि के चयन का कार्य समय से पूर्ण करा लें।

13– बैठक में अनुपस्थित उप निदेशकों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में गहन विचार–विमर्श के उपरान्त धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

****

14/6/2017

(एस0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

कार्यालय निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 735 / सं0शा0 / 2017 दिनांक 14 जून 2017

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
4– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6– वैयक्तिक सहायक, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

14/6/2017

(एस0के0सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।